प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र0नि0 ब्यूरो, कोटा थाना – प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर
   प्र0सू0रि0 संख्या 157/2023 दिनांक 20/6/2023
2. (1) अधिनियम– भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा– 13(1)(बी),13(2)
   (2) अधिनियम........ धाराऐं ....
   (3) अधिनियम........ धाराऐं........
   (4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं........
3. (क) घटना का दिन :– शुक्रवार दिनांक – 16.06.2023
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – दिनांक 16.06.2023 समय 12.30 पी0एम0
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....309 समय........2:50 P.M.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित या मौखिक)...... **मौखिक**
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी –7 किलोमीटर, बीट संख्या........
   जुरामदेही सं........
   (ख) पता :– कोटा–बून्दी मार्ग, पुलिस चौकी, बडगांव, कोटा शहर के सामने
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम........जिला ....
6. शिकायतकर्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– श्री अजीत बगडोलिया
   (ख) पिता/पति का नाम :– श्री मदन लाल
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– 43 साल
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या........जारी करने की तिथि........जारी करने का स्थान......
   (च) व्यवसाय – ....
   (छ) पता :–
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   1. श्री महेश जांगीड पुत्र श्री रामेश्वर जाति जांगीड उम्र 53 साल निवासी– 1/2 पटी, काली जी का चौक ग्राम–लाडनू, जिला नागौर हाल अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र कोटा।
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियां(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)..........
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः–8,10,000 रूपये।
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)........
12. **प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–**

महोदय

हालात इस प्रकार है दिनांक 16.06.2023 को मन् पुलिस पुलिस निरीक्षक को श्री विजय स्वर्णकार, अतिक्ति पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा ने उनको प्राप्त सूत्र सूचना से अवगत कराया कि महेश जांगीड, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र कोटा एक भ्रष्ट अधिकारी हैं तथा उसने पूर्व में ठेकेदारों से अवैध कमीशन की राशि प्राप्त कर भारी मात्रा में धन सम्पदा इकट्ठी कर रखी हैं तथा आज दिनांक 16.06.2023 को अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, क्षेत्र कोटा में चल रहे कार्यों के ठेकेदारों से कमीशन की बडी मात्रा में अवैध राशि एकत्रित कर गाडी नम्बर– RJ. 20 UA 9387 Mahindra XUV 500, सें जयपुर जायेगा एवं सूत्र सूचना के क्रम में आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। सूत्र सूचना विश्वसनीय होने सें अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा से दो स्वतंत्र गवाहान कैलाश सुमन एंव महावीर गुर्जर कनिष्ठ सहायक को तलब किया गया।

सूत्र सूचना के मुताबिक संदिग्ध अधिकारी श्री महेश जांगीड, अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं उक्त वाहन की आकस्मिक चैकिंग तुरन्त की जानी हैं, समयाभाव के कारण न्यायालय से सर्च वारण्ट प्राप्त किया जाना संभव नहीं होने से मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता श्री मुकेश सैनी कानि. 71, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, श्री बृजराज सिंह कानि. 159, श्री दिलीप सिह, वरिष्ठ लिपिक मय चालक श्री तंवर सिह, कानि. के सरकारी गाडी नम्बर– RJ 14 UA 9357 तथा प्राईवेट वाहन से कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों सहित चौकी हाजा से रवाना होकर कोटा–बून्दी मार्ग, पुलिस चौकी बडगांव के सामने जाकर संदिग्ध वाहन के इन्तजार

में मुकिम हुए। सूचना के मुताबिक समय 7.22 पी.एम. पर गाडी नम्बर– RJ 20 UA 9387 Mahindra XUV 500, सफेद रंग की जिसके आगे लाल प्लेट पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ है, कोटा की तरफ से आती हुई नजर आई, जिसको मन पुलिस निरीक्षक ने हाथ का इशारा देकर रूकवाया। गाडी में ड्राईवर के अलावा, मध्य की सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, मध्य की सीट पर उक्त व्यक्ति के पास सामान रखा हुआ था। मन पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त व्यक्तियों को हमराह जाब्ते एवं स्वतंत्र गवाहान का परिचय दिया तथा सूत्र सूचना के तथ्य एवं रूकवाने का मन्तव्य बताते हुये उनका नाम पता पूछा तो गाडी में मध्य की सीट पर बैठे हुये व्यक्ति ने अपना नाम श्री महेश जांगीड पुत्र श्री रामेश्वर जाति जांगीड उम्र 53 साल निवासी– 1/2 पट्टी, काली जी का चौक ग्राम–लाडनूं, जिला नागौर हाल अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र कोटा, मोबाईल नम्बर– 8209187166, 9875064527 होना बताया तथा ड्राईवर सीट पर बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम श्री जितेन्द्र सिह सौलंकी उर्फ दीपक पुत्र श्री हेमराज सिंह सौलंकी उम्र 29 साल जाति राजपूत निवासी– ग्राम जोलन्दा, थाना भाडौती जिला सवाई माधोपुर, मोबाईल नम्बर–9521377294 बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश जांगीड को तलाशी से पूर्व मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाब्ता की तलाशी लेने के लिए कहा तो श्री महेश जांगीड ने स्वैच्छा से तलाशी लेने से मना किया तथा स्वयं की एवं गाडी की तलाशी लेने की सहमति जाहिर की तथा बताया कि मैं अपने कार्यालय का कार्य निपटाकर दिनांक 19.06.2023 को होने वाली मिटिंग में हिस्सा लेने जयपुर जा रहा हूं, मेरा निवास स्थान जयपुर में नहीं होने के कारण रात को सर्किट हाऊस जयपुर में विश्राम करूंगा।

सूत्र सूचना के क्रम में महेश जांगीड से गाडी में कोई नकद राशि इत्यादि होने के बारे में पूछा तो बताया कि जलदाय विभाग के अन्तर्गत कोटा संभाग में वाटर सप्लाई व अन्य कार्यों के टेण्डरधारी फर्म बियानी कन्स्ट्रक्शन्स के श्री राजेन्द्र बियानी, निवासी नौखा हाल मानसरोवर जयपुर कल झालावाड से कोटा मेरे घर पर आये थे, जिन्होने मुझे 8 लाख रूपये दिये थे तथा जयपुर में उसके भाई श्री महावीर बियानी को देने के लिए कहा था तथा राजेन्द्र बियानी रूपये देकर वापस झालावाड चला गया था। इन आठ लाख रू. को मैं अपने साथ इस गाडी में रखकर जयपुर ले जा रहा हूं। दोनो स्वतंत्र गवाहान से वाहन की तलाशी नियमानुसार प्रारम्भ की गई जिसका विवरण निम्न है –

गाडी के मध्य की सीट पर रखी हुई वस्तुऐं:–

1. एक लाल एवं हरे रंग के केरी बैग में पांच– पांच सौ रूपये के 100–100 नोटों की 15 गड्डिया एवं पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट की एक गड्डी, कुल राशि–7,60,000 रूपये तथा तीन टी–शर्ट, नमकीन के तीन पैकेट, एक पापड का पैकेट तथा एक प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें टेबलेट रखी हुई है, मिले।
2. एक काले रंग का बेग, जिस पर अग्रेजी में HP लिखा बैच लग रहा हैं, को खोलकर तलाशी ली तो उसमें एक लेपटोप HP कम्पनी का है जिसे महेश जांगीड ने सरकारी होना बताया। बेग में एक पीले रंग का लिफाफा जिसमें पांच–पांच सौ रूपये के सौ नोट कुल 50,000 रू.मिले। इसके अतिरिक्त बेग में एक खाकी रंग का लिफाफा जिसमें सुकेत कस्बे में जल परियोजना के घटिया निर्माण से सबंधित परिवादी श्री ईश्वर खाती द्वारा दिये गये परिवाद के संबंध में जांच हेतु भिजवाने बाबत कार्यालय पत्र कुल 4 किता, 17 सी.सी. आरोप पत्र एल.के. शर्मा एवं श्री प्रदीप कुमार सक्सैना के संबंध में कार्यालय पत्र कुल पृष्ठ 11 तथा बैग के अन्य फोल्डर में कार्यालय पत्रांक 26–27 दिनांक 18.05.2023 परिवाद एच'808/2019 की जांच के संबंध में जिस पर महेश जांगीड के हस्ताक्षर हो रखे हैं सलंग्न पत्रादि सहित, मिटिंग नोटिस दिनांक 20.06.2023 के संबंध में जारी पत्र एव संलग्न सूचना कुल पृष्ठ–39, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट संबंधित कोटा, बून्दी, झालावाड इत्यादि के रंगीन नक्शे, प्रोजेक्टवाईज अचीवमेंट इत्यादि के आंकडे संबंधी दस्तावेज एवं ऑफिस कार्य से संबंधित दस्तावेज।
3. एक काले रंग का बेग जिसको खोलकर चेक किया तो उसमें पांच जीन्स, 9 शर्ट एवं अन्य रोजमर्रा के सामान रखे हुये हैं, यह बेग वाहन चालक श्री जितेन्द्र सिंह ने स्वयं का होना बताया।
4. गाडी के डेशबोर्ड में ग्लव बॉक्स में एक डायरी व गाडी के कागजात रखे हुये हैं। डायरी, चालक जितेन्द्र सिंह ने स्वंय की होना बताया।
5. वाहन की डिक्की में एक कपडे की थैली रखी हुई है जिसमें तीन जोडी जूते चप्पल रखे हुये हैं, जिनको श्री महेश जांगीड ने अपना होना बताया।

तत्पश्चात श्री महेश जांगीड की जामा तलाशी गवाह श्री सुरेश कुमार से लिवाई गई तो उनके पास से एक पर्स मिला, जिसमें कुल 6,280 रू., दो आधार कार्ड इशान जांगीड एवं चारूस्का जांगीड का, एक विभागीय पहचान पत्र, एक चाबी मिली जिसे अपने कोटा में किराये से लिये हुए आवास की होना बताया, पर्स में मिले रूपयों में से पांच हजार रू. गाडी में डीजल

डलवाने के लिए एवं अन्य स्वयं के खर्चे के लिए होना बताया। इसके अतिरक्त दो मोबाईल एक आई फोन–11 जिसमें Sim Number – 9875064527 तथा एक सैमसंग कम्पनी का मोबाईल जिसमें Sim Number – 8209187166 है। पर्स व मोबाईल गवाह सुरेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाये।

इसके बाद चालक श्री जितेन्द्र सिह सौलंकी उर्फ दीपक की जामा तलाशी स्वंत्र गवाहान से लिवाई गई तो उसके पहने हुई पेंट की जेब से एक पर्स मिला जिसमें चार सौ रूपये रखे हुये थे, जिनको उसने स्वंय के खर्चे के होना बताया, चालक के पास मिले रू. चालक को वापस लौटाये गये। जितेन्द्र सिह ने बताया कि मेरे रिश्तेदार गोविन्द सिह हाडा ने उनकी गाडी नम्बर–RJ 20 UA 9387 Mahindra XUV 500, को अनुबन्ध पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री महेश जांगीड के पास लगा रखा हैं, जिस पर मै चालक का काम करता हूं।

तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय श्री महेश जांगीड, चालक जितेन्द्र सिंह मय स्वतंत्र गवाहान, जाब्ता, उक्त वाहन में मिली राशि एवं अन्य सामानों के पुलिस चौकी बडगांव पहुंचा जहां पर श्री दशरथ सिंह कानि. 1790 उपस्थित मिला, चौकी पर एक कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। राजेन्द्र बियानी, ठेकेदार द्वारा श्री महेश जांगीड को कब, कितनी राशि व किस कारण दी गई है इत्यादि के बारे में पूछताछ हेतु निर्देशानुसार श्री भवानीशंकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, झालावाड को कार्यवाही व हालात से अवगत कराकर निवेदन किया गया एवं श्री राजेन्द्र बियानी के मोबाईल नम्बर 8003805678 बताये गए। श्री महेश जांगीड से राजेन्द्र बियानी द्वारा दिये गये आठ लाख रू. में सें 7,60,000 रू. पृथक एंव 50,000 दूसरे बेग में रखे लिफाफे में रखे होने तथा कुल बताई राशि 8 लाख के अलावा 10,000 रूपये के बारे में पूछा तो बताया कि वो तो मैंने ही रखे थे, रास्ते में या अन्य आवश्यकता पडने पर काम में लेने के लिए 50,000 रू. पृथक से लिफाफे में रखे थे तथा राजेन्द्र बियानी द्वारा मुझे 8 लाख रू. होना बताकर दिये थे जो मैंने गिने नहीं थे, वो सभी रूपये मिलाकर 8,10,000 रू. ही होंगे।

दौराने आकस्मिक चैकिंग में मिले 8,10,000 रू. के बारे में श्री महेश जांगीड द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने तथा सूत्र सूचना के मुताबिक राशि संदिग्ध होने सें बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जा एसीबी ली गई। श्री महेश जांगीड के पर्स में मिली राशि 6,280 रू, दो आधार कार्ड, विभागीय पहचान पत्र, दोनों मोबाईल को स्वंतत्र गवाह से प्राप्त कर वापस लौटाये गये तथा बैग में मिले अन्य दस्तावेजात, चाबी एंव अन्य सामानों को दुरूस्त हालत में श्री महेश जांगीड को सुपुर्द किये गये। श्री महेश जांगीड के विभागीय पहचान पत्र की छायाप्रति शामिल पत्रावली की गई। दौराने खानातलाशी शिष्टता एंव शालीनता पूर्वक व्यवहार किया गया। श्री महेश जांगीड के कोटा एवं लाडनूं स्थित आवास की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियो को निवेदन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गयां कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता के स्तर के अधिकारी का बरामद राशि के बारे में यह कहना कि यह राशि विभागीय ठेकेदार सें स्वयं प्राप्त कर ठेकेदार के भाई को जयपुर में देने के लिए ले जाई जा रही थी, विश्वसनीय नहीं है। सूत्र सूचना के मुताबिक श्री महेश जांगीड द्वारा उपरोक्त राशि 8,10,000 रूपये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र कोटा में चल रहे कार्यों के ठेकेदारों से कमीशन के रूप में अवैध रूप से प्राप्त कर जयपुर ले जाई जा रही थी, जिसके संबंध मे प्रकरण दर्ज किया जाकर विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है। श्री महेश जांगीड, अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र कोटा द्वारा एक दिवसीय वैध आय के ज्ञात स्त्रोत से अनानुपातिक राशि कुल 8,10,000 /–रूपये कब्जे मे रखना तथा कब्जे मे मिली राशि का प्राप्ति स्त्रोंत एवं राशि कब्जे मे रखने का संतोषजनक, समाधानप्रद व युक्तियुक्त कारण नहीं बताने का कृत्य धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है।

अतः श्री महेश जांगीड पुत्र श्री रामेश्वर जाति जांगीड उम्र 53 साल निवासी – 1/2 पट्टी, काली जी का चौक ग्राम–लाडनूं, जिला नागौर हाल अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र कोटा के विरूद्ध धारा 13(1)(बी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अजीत बगडोलिया)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अजीत बगडोलिया, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महेश जांगीड पुत्र श्री रामेश्वर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 157/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1187-90 दिनांक 20.6.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

20.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।